वि. प्रकरण सं. 155/2017 अन्तर्गत 229 R.T. Act
कैलाशकुंवर बनाम रवीमराज वगैरह

दिनांक 20-6-2018 को आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आयोजित आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत के मध्य अटल सेवा केन्द्र सिन्दरथ में पेश हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थिया का कोविद मालीकाशुदा प्राप्त होने से शामिल किया।

विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थिया की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवड़ा तथा अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री कलीम उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 14.11.2017 से निरन्तर पर्याप्त अवसर देने के बावजूद आज दिन तक 90 दिन की समयावधि में सीपीसी के प्रावधानों के तहत पेश नहीं करने से आगे अवसर दिया जाना उचित नहीं होने से अप्रार्थीगण का जवाब बन्द करने का आदेश दिया गया।

वकील प्रार्थीया तथा वकील अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 229 R.T. Act पर कोई मौखिक बहस करने से मौखिक बहस सुनकर उस पर मनन किया।

वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्रीमान के इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित प्रकरण सं. 1498/2015 अन्तर्गत 251 (क) R.T. Act कैलाशकुंवर बनाम रवीमराज वगैरह में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) R.T. Act को निर्णय दि. 30.9.2016 के अनुसार स्वीकार किया है वह गलत है तथा प्रार्थीया के खेत में जाने का रास्ता और कोई विकल्प नहीं है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय ने मौके एवं रेकर्ड के आधार पर पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय दि. 30.9.2016 को पारित किया हुआ था निर्णय विधि के अनुकूल है। प्रार्थीया उक्त

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue page

निग० प्रा० सं. 155/2017 अन्तर्गत 229 R.T.Act कैलाशकुंवर/खीमराज

निर्णय से असहमत नहीं है तो वह प्रकरण निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील कर सकती है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 229 R.T.Act खारिज करावें।

हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 229 R.T.Act, न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सं. 1498/2015 अन्तर्गत 251 (क) R.T.Act कैलाशकुंवर बनाम खीमराज वगैरा में पारित निर्णय दि० 30.9.2016 व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) R.T.Act जांच तहसीलदार सिरोही, नक्शा गिरदावर मौका रिपोर्ट दि० 19-10-2015 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर प्रकरण मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर भी गंभीरतापूर्वक मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा दि० 30.9.2016 को पारित किया है प्रकरण निर्णय मौके एवं रेकर्ड के आधार पर तथा तहसीलदार सिरोही के जवाब के आधार पर पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पारित किया है। प्रकरण निर्णय के मुताबिक मौका जांच, व संलग्न नक्शा गिरदावर के अनुसार प्रार्थीया ने ख०नं. 1064 किता नाम गै०मु० नदी में से रास्ता 20 फीट चौड़ा मांगा था, प्रकरण ख०नं. 1064 गै०मु० नदी में से रास्ता देने नदी के पानी के प्राकृतिक बहाव व अन्य खातेदार के कृषि भूमि को नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये एवं आवेदित रास्ते का ख०नं. 1064 किता नाम गै०मु० नदी है जो कि राज० काश्त० अधि० 1955 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आने से कानूनन खातेदारी, नियमन अथवा रास्ते के लिये भूमि किसी तरह आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है इस प्रकार प्रार्थीया का प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (क) R.T.Act का इस न्यायालय द्वारा खारिज किया है प्रकरण निर्णय विधिवत गुणावगुण के आधार पर मौके एवं रेकर्ड के आधार पर तथा तहसीलदार सिरोही के जवाब के आधार पर पारित किया है जो सही है। इस सम्बन्ध

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपना अभिमत प्रतिपादित किया है कि कार्यवाही का स्वरूप कुछ भी हो, पुनर्विलोकन की कार्यवाही पुन: मूल मामले की सुनवाई के बराबर नहीं हो सकती और न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अंतिमता पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, सिवाय वहां के जहां न्यायिक-त्रुटि के कारण कोई स्पष्ट लोप या तात्विक गलती या इसी प्रकार की स्पष्ट त्रुटि उसमें न हो गई हो।"

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं किया है। हमारे मतानुसार इस रिव्यु प्रार्थनापत्र में कोई एरर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड या मैटेरियल इररेग्युलेरिटी उक्त निर्णय दिनांक 30.9.2016 में नहीं होना पाया है। तथा उक्त निर्णय दिनांक 30.9.2016 को पूर्व उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) द्वारा पारित करने एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता समकक्ष अधिकारी होने से प्रार्थिया उक्त निर्णय से व्यथीत है तो वह नियमानुसार उक्त निर्णय के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में (उच्चतर न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतन्त्र है तथा प्रार्थिया अपने खेत में जाने के लिये अन्य कोई उपयुक्त ख०नं० की कृषि भूमि से रास्ता मांगने हेतु नया आवेदन भी नियमानुसार पेश कर सकती है) अत: उपरोक्त बातों के आधार पर प्रार्थिया का विचाराधीन यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 229 R.T. Act के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय रा०लो०अ० केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र सिन्दरथ में जलसे आम में सुनाया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
20/6/17

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)